TEACHER EMPLOYEE BENEFIT SCHEME (TEBF) RULES

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

शिक्षक कर्मचारी हितैषी योजना

(Teacher, Employee Benefit Scheme)

1. उद्देश्य –

शिक्षक कर्मचारी हितैषी योजना का उपयोग वित्तीय कठिनाई से जूझ रहे शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उनके आवेदन के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में उपयोग किया जायेगा।

2. परिभाषा –

2.1 विश्वविद्यालय से तात्पर्य पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर से है;

2.2 कुलपति से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का कुलपति;

2.3 कुलसचिव से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

2.4 शिक्षक का तात्पर्य यहां ऐसे शिक्षक से है जो विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में अध्यापन कर रहें शिक्षकों जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक भी शामिल है तथा परीक्षा कार्य में संलग्न संस्थाओं के शिक्षक जो मूल्यांकनकर्त्ता के रूप में कार्य करेंगे, से है।

2.5 कर्मचारी से तात्पर्य विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों (सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः सेवारत एवं प्रतिनियक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर) से है, जो शिक्षक कर्मचारी हितैषी योजना में सम्मिलित होवें।

2.6 शिक्षक, कर्मचारी अंशदान से तात्पर्य ऐसे अंशदान से जो किसी व्यक्ति/कर्मियों द्वारा कोष के लिए किया गया हो और इस हेतु परीक्षकों के पारिश्रमिक देयकों से की गयी 3 प्रतिशत कटौती शामिल रहेगी।

2.7 समिति का तात्पर्य इस कोष के संचालन हेतु गठित समिति से है;

2.8 सदस्य से तात्पर्य कोष के संचालन हेतु कुलपति द्वारा नियुक्त सदस्य से है;

2.9 वर्ष का तात्पर्य शैक्षणिक वर्ष जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक है;

2.10 परिवार से तात्पर्य है; कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो तथा ऐसे कर्मचारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित उसके माता–पिता, धर्मज संतान, जिनमें विधिक रुप से गोद ली गई सन्तान तथा सौतेली सन्तान भी सम्मिलित है।

2.11 गंभीर बीमारी से तात्पर्य जिसे चिकित्सक ने अपने रिपोर्ट में गंभीर बीमारी माना हैं;

3. शिक्षक, कर्मचारी अंशदान –

3.1 वे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से परीक्षक के रुप में पारिश्रमिक प्राप्त करते है, उनके पारिश्रमिक देयकों से 3 प्रतिशत की राशि भुगतान करते समय विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा इस कोष के लिए काटी जाएगी।

3.2 उपरोक्त परिभाषित कर्मचारियों जो इस योजना में सम्मिलित हो रहे हो के प्रत्येक माह के वेतन से रु. 50.00 की राशि कोष के लिए कटौती होगी।

4. कोष संचालन समिति –

इस कोष के संचालन हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति कुलपति द्वारा गठित की जाएगी :–

1. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का के दो शिक्षक।
2. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी।
3. वित्त अधिकारी (सदस्य सचिव)
4. परीक्षा नियंत्रक

यह कि कुलपति इनमें से वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष नामित करेंगे।

5. समिति का कार्यकाल –

उक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षो का होगा।

6. वित्तीय सहायता योजना एवं समिति के कार्य :–

समान्य दशा में समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रारंभ में आवश्यकतानुसार आयोजित होगी, जिसमें राशि के उपलब्धता के आधार पर कितनी–कितनी राशि किस–किस मामले में स्वीकृत होगी, उसके लिए नीति निर्धारित करेगी। इस कोष से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों पर समिति विचार करेगी और वित्तीय सहायता की प्रत्येक मामले में राशि स्वीकृत करेगी। राशि स्वीकृत करते समय समिति प्रत्येक मामले में वसूली हेतु प्रतिमाह की राशि भी निर्धारित करेगी। वसूली हेतु निर्धारित अवधि 15 माह से अधिक नहीं होगी तथा वसूली की कुल राशि प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

7. कोष का संचालन –

किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक में योजना के नाम से खाता खोलकर प्रतिमाह प्राप्त अंशदान माह के 10 तारीख तक अनिवार्यतः जमा किया जायेगा तथा जिसका आहरण स्वीकृति के अनुसार कुलसचिव एवं वित्ताधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा।

8. **बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता –**

1. स्वयं के गंभीर बीमारी पर तथा उनके आश्रितों को ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।
2. स्वयं की सामान्य बीमारी पर 4 प्रतिशत ब्याज पर वित्तीय सहायता दी जा सकेगी।
3. परिवार के सदस्य की मृत्यु पर ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।
4. अन्य आवश्यकताओं (जैसे पुत्र–पुत्री की शिक्षा) हेतु 6 प्रतिशत ब्याज पर आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।
5. योजना से जुड़े सदस्य को सामान्यतया तीन बार आर्थिक सहायता उसके आवेदन पर दिया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में तीन से अधिक बार की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये कुलपति सक्षम अधिकारी होंगे तथा ऐसे स्वीकृत आर्थिक सहायता पर ब्याज की दरें नियत से 2 प्रतिशत अधिक होगी।

9 योजना से जुड़े सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में मासिक वेतन से की गई अंशदान कटौती को बिना ब्याज के उसके विधिमान्य वारिस को वापस किया जायेगा। साथ ही सदस्य को दी गई आर्थिक सहायता में से शेष ऋण माफ किया जा सकेगा।

10. इस योजना से जुड़े कर्मचारी के किसी भी समय बाहर (exit) होने पर या उसके सेवानिवृत्ति पर, उसके द्वारा देय कुल अंशदान को उसके आवेदन किये जाने पर बिना ब्याज के वापस किया जायेगा।

11. इस योजना से जुड़े सदस्य की आकस्मिक मृत्यु पर कुलपति जी अधिकतम राशि रु. 25,000/– तक स्वीकृत कर सकते है, जो विधिमान्य वारिस को प्रदान की जा सकेगी।

12. इस कोष के रख–रखाव के लिये वित्ताधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा प्रत्येक वर्ष चाटर्ड एकाउंटेंड द्वारा आडिट किया हुआ प्रतिवेदन कार्यपरिषद् में अवलोकनार्थ रखा जायेगा।

13. इस योजना से जुड़े किसी भी विवाद के लिये अंतिम निर्णय कुलपति का होगा।

––– 000 –––